



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57269

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9351 वर्ष 2026

नौशाद

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : बृज राज सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना पटियाली, जिला कासगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 402 वर्ष 2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। संलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न गैंग-चार्ट में आवेदक के विरुद्ध पच्चीस आपराधिक मामले (वर्तमान मामले सहित) दिखाए गए हैं, जिन्हें जमानत आवेदन में स्पष्ट रूप से समझाया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में सूचीबद्ध किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उन्हें बढ़ावा दिया है। आगे यह कहा है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 26.11.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि वह जमानत मिलने पर स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया कि न्यायालय में भारी लंबित मामलों के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिखाए गए मामलों के अलावा आवेदक के विरुद्ध किसी अन्य मामले का उल्लेख नहीं किया है।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक नौशाद को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

19 मार्च, 2026

विभा सिंह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।